रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 971] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2014/वैशाख 10, 1936
No. 971] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2014/VAISAKHA 10, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2014

सं. 80 (आर.ई. 2013)/2009–2014

विषयः–खाद्य तेल के निर्यात से संबंधित दिनांक 18 जून, 2013 की अधिसूचना सं. 22 (आरई–2013)/2009–14 में संशोधन।

का.आ. 1178(अ). — विदेश व्यापार नीति, 2009–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के पैरा 1.3 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 की क्रम सं. 92 से संबंधित दिनांक 9.10.2013 की अधिसूचना सं. 45 (आरई–2013)/2009–14 के साथ पठित दिनांक 18 जून, 2013 की अधिसूचना सं. 22 (आरई–2013)/2009–14 में पैरा 4 को तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है :

"4. 5 किग्रा. तक के ब्रांडेड उपभोक्ता पैक में खाद्य तेल का निर्यात 1100 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर अनुमत है।"

2. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

5 किग्रा. तक के ब्रांडेड उपभोक्ता पैक में खाद्य तेल के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य को कम करके 1100 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन कर दिया गया है। पहले यह 1400 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन था।

[फा. सं. 01/91/180/774/एएम10/निर्यात प्रकोष्ठ]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2014

No. 80 (RE – 2013)/2009-2014

Subject: Amendment in Notification No 22(RE-2013)/2009-14 dated 18th June, 2013 relating to export of edible oils.

S.O. 1178(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with Para 1.3 of the Foreign Trade Policy, 2009—2014 (as amended from time to time), the Central Government hereby amends with immediate effect Para 4 of Notification No. 22(RE-2013)/2009-14 dated 18th June, 2013 read with Notification No. 45(RE-2013)/2009-14 dated 09.10.2013 relating to Sl. No. 92 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items as under:

"4. Export of edible oils in branded consumer packs of up to 5 Kgs is permitted with a Minimum Export Price of USD 1100 per MT".

2. Effect of this notification:

MEP on export of edible oils in branded consumer packs of up to 5 Kgs has been reduced to USD 1100 per MT. Earlier it was USD 1400 per MT.

[F. No. 01/91/180/774/AM10/Export Cell]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.